फा.सं.9-2/2019-एफईएस-ई.एस.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(एफई अनुभाग)

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 4 सितम्बर, 2020

श्री हरपाल सिंह राणा,

ए-1, गाँव:- कादीपुर,

दिल्ली- 110036,

मोबाइल न.:-9136235051,

ई-मेल harpalhindustan@gmail.com

विषय- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पंजीकरण सं. डीओईएएस/आर/टी/20/00084 दिनांक 04/08/2020

महोदय,

कृपया जन सूचना अधिकार के तहत ऊपर लिखित पंजीकरण सं. का संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 3 के लिए खाद्यान आर्थिकी प्रभाग से सम्बंधित जानकारी जो कि कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों से सम्बंधित है इस प्रकार है:

सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य संगत कारकों पर विचार करके 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी)का निर्धारण करती है। 22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें यथा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास तथा 6 रबी फसलें अर्थात् गेहूं, जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड एवं सरसों, कुसुम्भ तथा 2 वाणिज्यिक फसलें अर्थात् पटसन एवं कोपरा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तोरिया एवं छिलका रहित नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भी क्रमश: रेपसीड एवं सरसों तथा कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर किया जाता है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि, जल एवं अन्य उत्पादन संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतराष्ट्रीय मूल्यों, अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव एवं एमएसपी के सम्बन्ध में उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में उन फसलों को शामिल किया गया है, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने में उपभोग की वस्तुएं हैं और जो खाद्य/पोषण सुरक्षा केलिए आवश्यक हैं।

उत्पादन लागत (सीओपी) एमएसपी के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अपनी मूल्यनीति की सिफारिशें करते समय, सीएसीपी सभी लागतों पर व्यापक रूप से विचार करता है। आयोग को खेती की लागत/उत्पादन लागत के अनुमान अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित *'मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए सघन योजना'* के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते है। विभिन्न राज्यों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मदद से आंकड़े संकलित किये जाते है। सीएसीपी द्वारा कृषि जिन्सों के लिए मूल्यनीति तैयार करते समय क्षेत्र विशिष्ट मानकों पर विचार किया जाता है। चूंकि विभिन्न राज्यों में सिंचाई के स्तरों, संसाधन उपलब्धता, फार्म मशीनीकरण, भू-जोत आकार आदि के कारण सीओपी अलग-अलग होता है, अतः सीएसीपी द्वारा एमएसपी की सिफारिश करते समय अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागतों का उपयोग किया जाता है एवं एकल एमएसपी की सिफारिश की जाती है जो कि सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू होती है।

सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पादों को खरीदकर उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान कराना है। तथापि, किसान अपने उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद एजेंसियों अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

उत्तर के विरुद्ध यदि कोई अपील हो तो श्री पी. संगीत कुमार, सलाहकार एवम अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 445-ए, अर्थ एवम सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, दूरभाष संख्या- 011-23382236, को उत्तर की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दर्ज की जा सकती है।

भवदीया

श्वेता साहनी 4/9/2024

श्वेता साहनी
(आर्थिक अधिकारी)

प्रतिलिपि:

1. **श्री रामेश्वर सिंह, सीपीआईओ,** एफ़ विंग, कमरा न 119, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. **आरटीआई, एकक, डीएसी&एफ़डब्लू**, कृषि भवन, नई दिल्ली